उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

संख्या-4/1310/92-2014-05जांच/2014,

लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

श्री पी0आर0 राय, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल पेरी पल्ली, कोल्लम, केरल की स्थापना हेतु कन्सलटेन्सी फर्म मै0 रवि एसोसिएट, मंगलौर के पक्ष में गठित अनुबन्ध की शर्तो का फर्म द्वारा उल्लंघन करने पर उसकी जब्त की गयी परफारमेन्स गारन्टी को अनियमित रूप से अवमुक्त करने में की गयी अनियमितताओं, गम्भीर दुराचरण एवं शासकीय क्षति कारित करने के लिये उनके विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (CSR) के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए उक्त अनुशासनिक जांच के सम्पादनार्थ निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को, एतदद्वारा, पदेन जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

2- जांच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया वे श्री पी0आर0 राय के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न कर जांच आख्या विलम्बतम 02 माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार सिंह

प्रमुख सचिव।

संख्या-4/1310(1)/92-2014-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को अनुमोदित आरोप-पत्र साक्ष्य सहित 02 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि कृपया एक प्रति पर यथास्थान अपने हस्ताक्षर करके

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री पी0आर0 राय को तामील कराकर तामीली रसीद शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(संलग्नक-यथोक्त)**

2- श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- श्री ए0के0 अग्रवाल, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 को उनके अर्द्वशासकीय पत्र सं0-सी-12/18/Hqrs./817/11-Vig., दिनांक 28 जनवरी, 2014 के क्रम में।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in